Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री/टी.ए./8122/2001/भरतपुर

जगराम पुत्र मुरली जाति मीणा निवासी ग्राम अतरामपुरा
तहसील वैर जिला भरतपुर

....अपीलांट

बनाम

1. मंगली बेवा किशोरी जाति मीणा निवासी ग्राम अतरामपुरा
   तहसील वैर जिला भरतपुर
2. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र किशोरी
3. रामसिंह पुत्र किशोरी समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम अतरामपुरा
   तहसील वैर जिला भरतपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर
5. रतनदेवी पुत्री किशनप्यारी पत्नी बत्तूराम मीणा निवासी
   सरसेना भनकपुरा जिला करौली
6. जगदीश प्रसाद पुत्र लोहरी देवी जाति मीणा निवासी
   टीकरी जाफरान सलीमपुर जिला दौसा
7. बचन सिंह पुत्र श्रीमती धापा देवी निवासी भोपर नगला
   ग्राम जगजीवनपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

(2) अपील डिक्री/टी.ए./8123/2001/भरतपुर

जगराम पुत्र मुरली जाति मीणा निवासी ग्राम अतरामपुरा
तहसील वैर जिला भरतपुर

....अपीलांट

बनाम

1. मंगली बेवा किशोरी जाति मीणा निवासी ग्राम अतरामपुरा
   तहसील वैर जिला भरतपुर
2. प्रभु पुत्र नत्था जाति मीणा निवासी ग्राम अतरामपुरा
   तहसील वैर जिला भरतपुर (नाम तर्क दि020.8.08)

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट
श्री सुनील गर्ग, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 20.4.2018

निर्णय

उक्त दोनों अपीलें भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 196 / 2001 एवं 609 / 91 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य, विषय–वस्तु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

3. यहां यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में रतनदेवी पुत्री किशन प्यारी, जगदीश प्रसाद पुत्र लोहरी देवी, बचन सिंह पुत्र धापादेवी की ओर से अपील संख्या 8122 / 2001 में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के संबंध में पेश किया गया। जिस पर पक्षकारों के अभिभाषकगण को सुना गया एवं न्यायहित में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रतनदेवी, जगदीश प्रसाद एवं बचन सिंह को अपील संख्या 8122 / 2001 में बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जाता है।

4. अपीलांट जगराम की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात उपरोक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

5. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो.सं.1 मंगली ने एक वाद संख्या 340/86 (254/77) अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। इसी प्रकार अपीलांट जगराम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद संख्या 239/78 प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों वादों को विचारण न्यायालय ने इकजाही करते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम की एवं शहादत सबूत लेने के उपरान्त पक्षकारान की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28–8–91 के द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में निस्फ हिस्से का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार वैर को आराजी का विधिवत विभाजन कर कुरेजात रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देशित किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–91 के विरूद्ध अपीलांट जगराम ने दो अपीलें (अपील संख्या 609/91 एवं 196/2001) भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलों का एक ही निर्णय से निस्तारण करते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–11–2001 द्वारा अपीलांट की दोनों अपीलें खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त दो अपीलें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर 8 तनकियात कायम की थी एवं प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक निर्णय पारित किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किये बिना अपीलें खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि आदेश 41 नियम 31 सीपीसी में वर्णित मेण्डेटरी प्रावधानों में यह स्पष्टतः प्रावधान है कि अपील न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना आवश्यक है। उनकी यह भी दलील है कि तनकी संख्या 1 में रेस्पो./वादीनी को यह साबित करना था कि वह विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार किस प्रकार से है एवं उस पर उसका कब्जा कैसे। इस संबंध में वादीनी ने किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं कराया कि विवादग्रस्त भूमि मुरली की पैतृक भूमि थी एवं मीणा जाति में पैतृक भूमि में कोई अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं। चूंकि जब विवादग्रस्त भूमि पैतृक साबित

ही नहीं है तो फिर मुरली, जो कि विवादग्रस्त भूमि का खातेदार था, को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 एवं 41 के तहत अपने खाते की भूमि को अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारों के अन्तर्गत ही दिनांक 9–1–68 को एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया। उपरोक्त जो गिफ्ट डीड है, उसे निरस्त करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, बावजूद इसके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समस्त तथ्यात्मक स्थिति को समझे बिना अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रजिस्टर्ड डीड को अकारण शून्य मानते हुए तनकी संख्या 1 एवं अन्य तनकीयात का निर्णय रेस्पो. / वादीनी के पक्ष में करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलांट खातेदार कृषक होने से निषेधाज्ञा का अधिकारी है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जावे।

7. अपीलांट के तर्को का रेस्पोडेन्ट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल विरोध किया एवं कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपना वाद बखूबी साबित किया है इसके विपरीत अपीलांट अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं, जो पूर्णतया विधि सम्मत है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त दोनों अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

8. रेस्पोडेन्ट रतनदेवी, जगदीश प्रसाद एवं बचन सिंह के अधिवक्ता श्री मोहित सोनी का बहस में यह तर्क है कि सुन्दर, मुरली की पत्नी नहीं थी न कभी रही। किशोरी जो है वह मुरली का पुत्र नहीं है, नत्था का पुत्र है। जमीन हडप करने के लिए इन्होंने यह कहानी रची है। हमारे पिता / नाना ने जो गिफ्ट डीड की है वह सही है और हम उस गिफ्ट डीड से सहमत हैं।

9. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तत्पश्चात हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

10. हमारा यह मानना है कि इस प्रकरण में जगराम की ओर से मंगली वगैरह के विरूद्ध जो वाद संख्या 239 / 78 प्रस्तुत किया गया, वह स्वयं को भूमि का रेकार्डेड खातेदार बताते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया एवं दूसरा वाद पत्र जो मंगली वगैरह की ओर से प्रस्तुत किया गया वह निस्फ हिस्से के आधार पर स्वयं का कब्जा बताते हुए उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत किया गया। विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने से एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने से तथा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि मुरली पुत्र नंदलाल जाति मीणा, जो कि इस विवादित आराजी का एकमात्र खातेदार काश्तकार था, ने दिनांक 9–1–68 को सब–रजिस्ट्रार वैर के यहां एग्जीबिट ए–2 दान पत्र जगराम पुत्र मुरली के हक में तस्दीक करवा दिया था और उपरोक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 9–1–68 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 11–2–68 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त विवादित आराजी जगराम पुत्र मुरली के नाम दर्ज हो गई थी, जो स्थिति यह जाहिर करती है कि सन 1968 से ही जगराम पुत्र मुरली इस विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा है।

11. मुरली वगैरह, जिन्होंने जगराम के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत किया, वो अपने आपको किशोरी मीणा के वारिस होना बताकर आ रहे हैं एवं उनका यह उल्लेख करना है कि किशोरी मीणा की माता का नाम सुन्दर था और सुन्दर जो थी वो नत्था की पत्नी थी किन्तु नत्था की मृत्यु के पश्चात सुन्दर, मुरली के नाते चली गई थी तथा मुरली के संयोग से उक्त सुन्दर के किशोरी उत्पन्न हुआ था और इस कारण विवादित भूमि, जो कि मुरली की भूमि थी, में किशोरी का भी आधा हिस्सा बनता है और इस कारण किशोरी के वारिसान होने के नाते मंगली वगैरह का यह तर्क रहा है कि भूमि में उनके निस्फ हिस्से बाबत उद्घोषणा उनके पक्ष में जारी की जावे।

12. जगराम वगैरह की ओर से इन तथ्यों का विरोध किया गया है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह उभरकर सामने आती है कि स्वयं किशोरी ने या उसकी माता सुन्दर ने अपने जीवनकाल में कभी भी मुरली के विरूद्ध या जगराम के विरूद्ध विवादित आराजी के संबंध में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की। यदि विवादित आराजी के संबंध में किशोरी या सुन्दर का कोई हक बनता था तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों अपने जीवनकाल में मुरली या जगराम के विरूद्ध कार्यवाही कर उपचार प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उल्लेखनीय यह है कि इन दोनों के द्वारा सन 1968 में जगराम के नाम नामान्तरकरण खुल जाने के बावजूद भी विवादित भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

13. दूसरी स्थिति यह उभरकर सामने आती है कि एग्जीबिट–5 वोटर लिस्ट में किशोरी पुत्र मुरली अंकित किया हुआ है किन्तु इसी वोटर लिस्ट में सुन्दर पत्नी नत्था अंकित किया हुआ है। प्रश्न यह है कि यदि हम इस तथ्य पर विश्वास करें कि किशोरी को मुरली का बेटा अंकित किया हुआ है तो फिर उसी वोटर लिस्ट में सुन्दर को नत्था की पत्नी के तथ्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता और जब सुन्दर ही मुरली की पत्नी नहीं है तो किशोरी जो कि सुन्दर की कोख से पैदा होना बताया गया है, उसे मुरली का पुत्र माने जाने बाबत एक संद्धिग्धता की स्थिति है।

14. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस एग्जीबिट–5 वोटर लिस्ट की प्रविष्ठी में सुन्दर पत्नी नत्था और आगे उम्र 60 साल अंकित की हुई है तो 60 साल की उम्र में सुन्दर को नत्था की पत्नी दर्ज किया हुआ है तो फिर प्रश्न यह उठता है कि सुन्दर ने मुरली से शादी किस उम्र में की। यह जो तथ्य हैं, ये संद्धिग्धता लिये हुए हैं।

15. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में जो विवेचन किया है उसमें उसने यह अंकित किया है कि मु0 सुन्दर मृतक मुरली की औरत के रूप में ही रही होगी जिससे किशोरी लडका हुआ। यानि

संभावना के आधार पर विचारण न्यायालय सुन्दर को मुरली की औरत के रूप में मानने का कयास कर रही है जो स्थिति ठीक नहीं है और विशेष रूप से उस परिस्थिति में जबकि सुन्दर या किशोरी ने अपने जीवनकाल में इस बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद या प्रश्न बिन्दु नहीं उठाया हो।

16. हमारा यह मानना है कि जो विवादित आराजी है वह सन 1968 में गिफ्ट डीड एग्जीबिट ए–2 निष्पादित करते वक्त मुरली पुत्र नंदलाल की खातेदारी में दर्ज थी वह उसका खातेदार एवं काश्तकार था, इस तथ्य से कहीं कोई इंकारी नहीं है तो दिनांक 9–1–68 को मुरली को रजिस्टर्ड दान पत्र को निष्पादित करवाने का कोई अधिकार नहीं रहा हो, यह नहीं माना जा सकता। खातेदार काश्तकार होने के नाते उसे अपने नाम की विवादित आराजी के बाबत दान पत्र करवाने का अधिकार था तथा उस दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 103 तस्दीक हो गया और जगराम भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया। सुन्दर और किशोरी ने अपने जीवनकाल में इस नामान्तरकरण या खातेदारी को कही कोई चुनौती नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में भूमि के सोल खातेदार काश्तकार मुरली के द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से इस भूमि का अन्तरण जगराम के पक्ष में किया गया, तो इन परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि आया रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 9–1–68 एब इनीशियो वोइड हो। अब यदि मंगली या उसके वारिसान इस विवादित आराजी में अपने किसी प्रकार के हक अधिकारों का क्लेम करते हैं तो उन्हें हमारे मतानुसार रजिस्टर्ड दान पत्र को शून्यकरणीय घोषित कराने के लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करनी चाहिए थी क्योंकि दिनांक 9–1–68 के पंजीकृत गिफ्ट डीड को केवलमात्र सिविल न्यायालय ही शून्यकरणीय घोषित करने या अपास्त करने का अधिकार रखता है तथा राजस्व न्यायालय को ऐसे रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को अपास्त करने का अधिकार नहीं है।

17. इसके अलावा हमारा यह भी मानना है कि मंगली एवं उसके वारिसान यदि यह कह कर आ रहे हैं कि उनके पति एवं पिता किशोरी, मुरली का पुत्र था तथा इस कारण वह आराजी का अधिकारी है तथा मुरली का अविवादित

पुत्र उसका विरोध कर रहा है तो इस उद्घोषणा को प्राप्त करने के लिए भी दीवानी न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार बनता है तथा राजस्व न्यायालय यह उद्घोषणा नहीं कर सकता कि आया किशोरी, मुरली का पुत्र था अथवा नहीं।

18. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए हमारा यह मानना है कि इस मामले में विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–8–91 में तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–11–2001 में जो विवेचन किया है वह विधिक दृष्टि से उपरोक्त कारणों से त्रुटिपूर्ण है और ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के जो निष्कर्ष हैं उन्हें स्थिर रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

19. अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–11–2001 तथा सहायक कलक्टर वैर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–91 निरस्त किये जाते हैं। परिणामस्वरूप मंगली वगैरह की ओर से प्रस्तुत दावा संख्या 340 / 86 (254 / 77) खारिज किया जाता है एवं जगराम की ओर से प्रस्तुत दावा संख्या 239 / 78 को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी पक्ष मंगली, लक्ष्मण एवं रामसिंह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे ग्राम अतरामपुरा में स्थित विवादित आराजी में वादी जगराम के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य